

भारतीय राजव्यवस्था

भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति

The President and the Vice-President of India

संघ कार्यपालिका • संविधान का भाग V • अनुच्छेद 52–78 तथा 63–71

Union Executive • Part V of the Constitution • Articles 52–78 and 63–71

इस अध्याय की रूपरेखा

Roadmap of this chapter

1

भाग V की संरचना तथा संघ कार्यपालिका के अंग

Structure of Part V and the organs of the Union Executive

2

अनुच्छेद 52–62: राष्ट्रपति का चुनाव, कार्यकाल, योग्यता, महाभियोग

Articles 52–62: election, tenure, qualifications and impeachment of the President

3

राष्ट्रपति की शक्तियाँ — कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, सैन्य, राजनयिक, आपातकालीन

Powers of the President — executive, legislative, financial, judicial, military, diplomatic and emergency

4

अनुच्छेद 72: क्षमादान की शक्ति तथा सम्बन्धित वाद

Article 72: the pardoning power and the leading case law

5

अनुच्छेद 63–71: उपराष्ट्रपति का पद, चुनाव, निष्कासन तथा कार्य

Articles 63–71: the office, election, removal and functions of the Vice-President

6

राष्ट्रपतियों एवं उपराष्ट्रपतियों की पूर्ण सूची, तथ्य-सुधार, त्वरित पुनरावृत्ति एवं MCQ

Complete lists, fact corrections, quick revision and practice MCQs

भाग V

संघ कार्यपालिका की संरचना

The framework of the Union Executive

01

संविधान का भाग V — पाँच अध्याय

Part V of the Constitution is divided into five chapters

1

अध्याय I — संघ कार्यपालिका (अनुच्छेद 52–78)

Chapter I — The Union Executive (Articles 52–78)

2

अध्याय II — संसद (अनुच्छेद 79–122)

Chapter II — Parliament (Articles 79–122)

3

अध्याय III — राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ (अनुच्छेद 123)

Chapter III — Legislative powers of the President (Article 123)

4

अध्याय IV — संघ न्यायपालिका (अनुच्छेद 124–147)

Chapter IV — The Union Judiciary (Articles 124–147)

5

अध्याय V — भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद 148–151)

Chapter V — Comptroller and Auditor General of India (Articles 148–151)

6

संघ कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् तथा महान्यायवादी शामिल हैं

The Union Executive comprises the President, Vice-President, Prime Minister, Council of Ministers and Attorney General

राष्ट्रपति — पद का स्वरूप

The nature of the office of President

1

राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है

The President is the symbol of the unity, integrity and solidarity of the nation

2

वह देश का प्रमुख तथा भारत का प्रथम नागरिक (औपचारिक रूप से) है

He is the head of the State and, formally, the First Citizen of India

3

वह देश का नाममात्र/विधितः प्रमुख है — वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है

He is the nominal or de jure head — real executive power rests with the Council of Ministers

4

अनुच्छेद 74(1) के अनुसार वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है; 42वें संशोधन ने सलाह को बाध्यकारी बनाया और 44वें संशोधन ने एक बार पुनर्विचार का अधिकार दिया

Under Article 74(1) he acts on the aid and advice of the Council of Ministers; the 42nd Amendment made the advice binding and the 44th allowed him one reconsideration

अनुच्छेद 52 और 53 — पद तथा शक्ति

Articles 52 and 53 — the office and the power

1

अनुच्छेद 52 — भारत का एक राष्ट्रपति होगा

Article 52 — There shall be a President of India

2

अनुच्छेद 53(1) — संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा

Article 53(1) — The executive power of the Union is vested in the President and exercised by him directly or through officers subordinate to him

3

अनुच्छेद 53(2) — राष्ट्रपति संघ के रक्षा बलों (थल, जल, वायु सेना) का सर्वोच्च सेनापति होगा

Article 53(2) — The President is the Supreme Commander of the defence forces of the Union

4

अनुच्छेद 53(3) — यह शक्ति संसद द्वारा विधि बनाकर अन्य प्राधिकारियों को भी सौंपी जा सकती है

Article 53(3) — Parliament may by law confer functions on authorities other than the President

अनुच्छेद 54 — निर्वाचक मंडल

Article 54 — the Electoral College

1

राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है — यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, जनता सीधे मत नहीं देती

The President is elected by an electoral college — the election is indirect; the people do not vote directly

2

संसद के दोनों सदनों (लोकसभा + राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य

The elected members of both Houses of Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha)

3

सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

The elected members of the Legislative Assemblies of all the States

4

दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

The elected members of the Assemblies of the Union Territories of Delhi and Puducherry

5

70वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया

The 70th Constitutional Amendment Act, 1992 added Delhi and Puducherry to the electoral college

निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है?

Who is excluded from the electoral college?

1

संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते

Nominated members of Parliament do not take part in the President's election

2

राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते

Nominated members of the State Legislative Assemblies also do not take part

3

विधान परिषदों (उच्च सदन) के सदस्य — निर्वाचित हों या मनोनीत — भाग नहीं लेते

Members of the Legislative Councils, whether elected or nominated, do not take part

4

जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख — अनुच्छेद 54 के स्पष्टीकरण में केवल दिल्ली और पुदुचेरी का नाम है; इनके समावेश के लिए संविधान संशोधन आवश्यक होगा

Jammu and Kashmir and Ladakh — the Explanation to Article 54 names only Delhi and Puducherry, so their inclusion would need a constitutional amendment

5

स्मरण रखें — मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, परन्तु उपराष्ट्रपति के चुनाव तथा राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं

Remember — nominated members do not vote in the President's election, but they do vote in the Vice-President's election and in the President's impeachment

अनुच्छेद 55 — निर्वाचन की रीति

Article 55 — the manner of election

1

चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (STV) पद्धति से होता है

The election is held by proportional representation through the single transferable vote system

2

मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है

Voting is conducted by secret ballot

3

प्रत्येक मतदाता अपनी वरीयता के क्रम में मत अंकित करता है — पहली वरीयता अनिवार्य है

Every elector marks preferences in order; marking the first preference is compulsory

4

विजेता को कुल वैध मतों का 50% से अधिक — अर्थात् निर्धारित कोटा — प्राप्त करना अनिवार्य है

The winner must secure more than 50% of the valid votes, that is, the prescribed quota

5

अनुच्छेद 55 राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता तथा राज्यों और संघ के बीच समता सुनिश्चित करता है

Article 55 ensures uniformity among States and parity between the States and the Union

मत मूल्य की गणना — सूत्र

Calculating the value of a vote — the formulae

1

एक विधायक के मत का मूल्य = (राज्य की कुल जनसंख्या ÷ विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या) × 1/1000

Value of an MLA's vote = (total population of the State ÷ number of elected MLAs) × 1/1000

2

एक सांसद के मत का मूल्य = सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य ÷ संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या

Value of an MP's vote = total value of the votes of all MLAs ÷ total number of elected MPs

3

निर्वाचित कोटा = (डाले गए कुल वैध मतों का मूल्य ÷ (रिक्तियाँ + 1)) + 1

Quota for election = (total value of valid votes polled ÷ (vacancies + 1)) + 1

4

यहाँ जनसंख्या का अर्थ 1971 की जनगणना की जनसंख्या है — 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा इसे 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना तक स्थिर कर दिया गया है

Population here means the 1971 Census figure, frozen by the 84th Amendment Act, 2001 until the first census after 2026

5

2022 के चुनाव में एक सांसद के मत का मूल्य 708 से घटकर 700 रह गया, क्योंकि उस समय जम्मू-कश्मीर में विधानसभा गठित नहीं थी

In 2022 the value of an MP's vote fell from 708 to 700 because Jammu and Kashmir had no Assembly at the time

गणना का व्यावहारिक उदाहरण — 2022 का राष्ट्रपति चुनाव

A worked example — the Presidential election of 2022

700

एक सांसद के मत का मूल्य
Value of one MP's vote

208

उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत
मूल्य — सर्वाधिक
Value of one MLA's vote in Uttar Pradesh — the
highest

7

सिक्किम, अरुणाचल तथा मिज़ोरम के
एक विधायक का मत मूल्य — न्यूनतम
Value in Sikkim, Arunachal Pradesh and
Mizoram — the lowest

10,86,431

निर्वाचक मंडल के कुल मतों का मूल्य
Total value of the electoral college

नामांकन, जमानत राशि और विवाद

Nomination, security deposit and disputes

1

नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक हैं

A nomination requires at least 50 proposers and 50 seconders

2

वर्ष 1997 से पूर्व प्रस्तावकों और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या 10-10 थी

Before 1997 the minimum number of proposers and seconders was ten each

3

प्रत्येक उम्मीदवार को ₹15,000 की जमानत राशि भारतीय रिज़र्व बैंक या सरकारी कोषागार में जमा करनी होती है

Every candidate must deposit a security of ₹15,000 with the Reserve Bank of India or a government treasury

4

कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त न कर पाने पर जमानत राशि ज़ब्त हो जाती है

The deposit is forfeited if the candidate fails to secure one-sixth of the valid votes

5

चुनाव का संचालन भारत निर्वाचन आयोग करता है; निर्वाचन से जुड़े सभी विवाद केवल उच्चतम न्यायालय में जाते हैं (अनुच्छेद 71)

The election is conducted by the Election Commission; all disputes go only to the Supreme Court under Article 71

अनुच्छेद 56 — कार्यकाल और त्यागपत्र

Article 56 — term of office and resignation

1

राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष तक पद पर रहता है

The President holds office for five years from the date on which he enters upon office

2

56(1)(a) — वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सम्बोधित करके दे सकता है

Under 56(1)(a) he may resign by writing addressed to the Vice-President

3

56(1)(b) — संविधान के अतिक्रमण के लिए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है

Under 56(1)(b) he may be removed by impeachment for violation of the Constitution

4

उपराष्ट्रपति ऐसे त्यागपत्र की सूचना तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को देगा

The Vice-President must forthwith communicate such resignation to the Speaker of the Lok Sabha

5

पाँच वर्ष पूरे होने पर भी राष्ट्रपति उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है

Even after five years the President continues in office until his successor enters upon office

पुनर्निर्वाचन तथा योग्यताएँ

Re-election and qualifications

अनुच्छेद 57 — पुनर्निर्वाचन

Article 57 — eligibility for re-election

- कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है

A person may be re-elected as President any number of times

- संयुक्त राज्य अमेरिका में 22वें संशोधन (1951) के बाद राष्ट्रपति अधिकतम दो कार्यकाल तक ही रह सकता है

In the United States the 22nd Amendment (1951) limits the President to two terms

- डॉ. राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार दो बार राष्ट्रपति चुने गए

Dr Rajendra Prasad is the only person elected President twice in succession

अनुच्छेद 58 — योग्यताएँ

Article 58 — qualifications for election

- वह भारत का नागरिक हो

He must be a citizen of India

- उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो

He must have completed 35 years of age

- वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो

He must be qualified for election as a member of the Lok Sabha

- वह भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो

He must not hold any office of profit under the Union, a State or a local authority

- देशीयकृत (naturalised) नागरिक भी राष्ट्रपति बन सकता है

A naturalised citizen may also become President

लाभ का पद — एक स्पष्टीकरण

Office of profit — a clarification

1

लाभ का पद वह पद है जिस पर नियुक्ति तथा पदमुक्ति का अधिकार सरकार के पास हो और जिससे वेतन, भत्ते या अन्य लाभ जुड़े हों

An office of profit is one where the government controls appointment and removal and which carries salary, allowances or other benefits

2

संविधान में 'लाभ का पद' को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है

The Constitution nowhere defines the expression 'office of profit'

3

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ या राज्य का मंत्री तथा राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं माना जाता

The offices of President, Vice-President, a Union or State Minister and Governor are not treated as offices of profit

4

यदि निर्वाचित होने पर कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है, तो उसे पद ग्रहण की तिथि से वह सीट रिक्त करनी होगी

If a sitting member of Parliament or a State legislature is elected, his seat becomes vacant on the date he assumes office

अनुच्छेद 59 — पद की शर्तें, वेतन और भत्ते

Article 59 — conditions of office, salary and allowances

1

59(1) — राष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा; यदि है तो पद ग्रहण की तिथि पर उसकी सीट रिक्त मानी जाएगी

59(1) — The President shall not be a member of Parliament or of a State legislature; if he is, his seat is deemed vacant on the date he assumes office

2

59(2) — वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा

59(2) — He shall not hold any other office of profit

3

59(3) — उसे बिना किराए के सरकारी निवास तथा संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियाँ, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे

59(3) — He is entitled to a rent-free official residence and to such emoluments, allowances and privileges as Parliament determines

4

59(4) — कार्यकाल के दौरान उसकी उपलब्धियों और भत्तों में कोई कमी नहीं की जाएगी

59(4) — His emoluments and allowances shall not be diminished during his term of office

5

वर्तमान वेतन ₹5,00,000 प्रति माह है और राष्ट्रपति को अपने वेतन पर आयकर नहीं देना पड़ता

The present salary is ₹5,00,000 per month, and the President pays no income tax on it

अनुच्छेद 60 — शपथ, तथा अनुच्छेद 361 — उन्मुक्ति

Article 60 — the oath, and Article 361 — immunity

1

राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं

The oath is administered to the President by the Chief Justice of India

2

मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध न हों तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं

In his absence, the senior-most available judge of the Supreme Court administers the oath

3

राष्ट्रपति शपथ लेता है कि वह संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा — यह शब्दावली केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ में आती है

He swears to preserve, protect and defend the Constitution and the law — wording used only in the oaths of the President and Governors

4

अनुच्छेद 361 — पदावधि के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती और उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता

Article 361 — no criminal proceedings may be instituted against the President during his term and he cannot be arrested

5

उसके व्यक्तिगत कार्यों के विरुद्ध दीवानी कार्यवाही दो माह की पूर्व सूचना देने के बाद ही की जा सकती है

Civil proceedings for his personal acts may be brought only after two months' prior notice

अनु. 61

महाभियोग — राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया

02

Impeachment — the procedure for removing the President

अनुच्छेद 61 — महाभियोग का स्वरूप

Article 61 — the nature of impeachment

1

महाभियोग का एकमात्र आधार है — संविधान का अतिक्रमण (violation of the Constitution)

The only ground for impeachment is violation of the Constitution

2

संविधान में 'संविधान का अतिक्रमण' शब्द को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है

The expression 'violation of the Constitution' has nowhere been defined in the Constitution

3

यह एक अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) प्रक्रिया है

It is a quasi-judicial procedure

4

महाभियोग का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है

The provision of impeachment has been borrowed from the Constitution of the United States

5

आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है

No President of India has ever been impeached so far

महाभियोग की प्रक्रिया — चरणबद्ध

The impeachment procedure, step by step

1

आरोप संसद के किसी भी सदन में आरम्भ किए जा सकते हैं — कोई निश्चित सदन नहीं

The charges may be initiated in either House of Parliament

2

प्रस्ताव पर उस सदन के कम से कम एक-चौथाई (25%) सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं

The motion must be signed by at least one-fourth of the total members of that House

3

राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है

A fourteen days' advance notice must be given to the President

4

प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए

The motion must be passed by a special majority of two-thirds of the total membership of that House

5

दूसरा सदन आरोपों की जाँच करता है; राष्ट्रपति को उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व का अधिकार है

The other House investigates the charges; the President has the right to appear and to be represented

6

दूसरे सदन में भी दो-तिहाई बहुमत से पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति पद से हट जाता है

He is removed from the date on which the second House also passes it by a two-thirds majority

महाभियोग में कौन भाग लेता है — परीक्षा का पसंदीदा प्रश्न

Who participates in an impeachment — a favourite examination trap

1

संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य — निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों — भाग लेते हैं

All members of both Houses of Parliament, elected as well as nominated, take part

2

मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, परन्तु महाभियोग में लेते हैं

Nominated members do not vote in his election, but they do vote in his impeachment

3

राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली-पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेते

Elected members of the State Assemblies and of Delhi and Puducherry take no part in impeachment

4

यद्यपि वही विधायक राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देते हैं — यही इस प्रश्न का मर्म है

Yet those same MLAs do vote in his election — that is the heart of this question

अनुच्छेद 62 — रिक्ति भरने का समय

Article 62 — time for filling a vacancy

1

62(1) — कार्यकाल की समाप्ति से उत्पन्न रिक्ति का चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए

62(1) — An election to fill a vacancy caused by expiry of term must be completed before the expiry of the term

2

62(2) — मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाए जाने या अन्य कारण से रिक्ति होने पर चुनाव यथाशीघ्र, अधिकतम छह माह के भीतर कराना अनिवार्य है

62(2) — A vacancy by death, resignation, removal or otherwise must be filled as soon as possible and within six months

3

ऐसी रिक्ति भरने वाला नया राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से पूरे पाँच वर्ष का कार्यकाल पाता है

The President so elected holds office for a full term of five years from the date he enters upon office

राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उत्तराधिकार का क्रम

The order of succession when the office falls vacant

1

सबसे पहले उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है (अनुच्छेद 65)

First, the Vice-President acts as President under Article 65

2

यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध न हो, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं

If the Vice-President is also unavailable, the Chief Justice of India acts as President

3

यदि मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध न हों, तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश कार्य करते हैं

If the Chief Justice too is unavailable, the senior-most available judge of the Supreme Court acts

4

यह व्यवस्था राष्ट्रपति (निर्वाचन सम्बन्धी विधियाँ) संशोधन अधिनियम, 1969 द्वारा की गई थी

This arrangement was made by the President (Discharge of Functions) Act, 1969

भारत के तीन कार्यवाहक राष्ट्रपति

The three acting Presidents of India

क्र. No.	नाम Name	अवधि Period	परिस्थिति Circumstance
1	वी. वी. गिरि V. V. Giri	3 मई – 20 जुलाई 1969	डॉ. ज़ाकिर हुसैन के निधन पर; बाद में स्वयं चुनाव लड़ने हेतु त्यागपत्र दिया On the death of Dr Zakir Husain; later resigned to contest the election himself
2	मोहम्मद हिदायतुल्लाह M. Hidayatullah	20 जुलाई – 24 अगस्त 1969	तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के रूप में; एकमात्र CJI जिन्होंने राष्ट्रपति के कर्तव्य निभाए As the then Chief Justice of India — the only CJI to discharge the President's functions
3	बी. डी. जत्ती B. D. Jatti	11 फरवरी – 25 जुलाई 1977	फखरुद्दीन अली अहमद के निधन पर; मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई On the death of Fakhruddin Ali Ahmed; administered the oath to Prime Minister Morarji Desai

शक्तियाँ

राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कृत्य

Powers and functions of the President

03

राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्गीकरण

Classification of the President's powers

1

कार्यकारी शक्तियाँ — नियुक्तियाँ, शासन का संचालन, नियम बनाना

Executive powers — appointments, conduct of administration, framing of rules

2

विधायी शक्तियाँ — सत्र आहूत करना, अभिभाषण, विधेयकों पर अनुमति, मनोनयन

Legislative powers — summoning, addressing, assenting to Bills, nomination

3

वित्तीय शक्तियाँ — धन विधेयक, बजट, आकस्मिकता निधि, वित्त आयोग

Financial powers — money Bills, the budget, the Contingency Fund, the Finance Commission

4

न्यायिक शक्तियाँ — न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श, क्षमादान

Judicial powers — appointment of judges, consultation under Article 143, pardon

5

सैन्य एवं राजनयिक शक्तियाँ — सर्वोच्च सेनापति, युद्ध-शांति की घोषणा, संधियाँ, राजदूत

Military and diplomatic powers — Supreme Commander, war and peace, treaties, envoys

6

आपातकालीन शक्तियाँ — अनुच्छेद 352, 356 तथा 360

Emergency powers — Articles 352, 356 and 360

राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली प्रमुख नियुक्तियाँ

Key appointments made by the President

1

प्रधानमंत्री तथा उसकी सलाह पर अन्य मंत्री — अनुच्छेद 75
The Prime Minister and, on his advice, other Ministers — Article 75

2

भारत का महान्यायवादी — अनुच्छेद 76
The Attorney General of India — Article 76

3

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक — अनुच्छेद 148
The Comptroller and Auditor General of India — Article 148

4

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश — अनुच्छेद 124 और 217
Judges of the Supreme Court and the High Courts — Articles 124 and 217

5

राज्यपाल — अनुच्छेद 155; तथा संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक — अनुच्छेद 239
Governors under Article 155 and administrators of Union Territories under Article 239

6

मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त — अनुच्छेद 324
The Chief Election Commissioner and other Election Commissioners — Article 324

7

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य — अनुच्छेद 316
The Chairman and members of the Union Public Service Commission — Article 316

8

वित्त आयोग, NHRC, NCW, NCM, NCBC, NCSC तथा NCST के अध्यक्ष एवं सदस्य
Chairpersons and members of the Finance Commission, NHRC, NCW, NCM, NCBC, NCSC and NCST

राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करने वाले

Officers who hold office during the pleasure of the President

1

संघ के मंत्री — अनुच्छेद 75(2)

Ministers of the Union — Article 75(2)

2

राज्यों के राज्यपाल — अनुच्छेद 156(1)

Governors of States — Article 156(1)

3

भारत का महान्यायवादी — अनुच्छेद 76(4)

The Attorney General of India — Article 76(4)

4

ध्यान दें — CAG, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रसादपर्यन्त पद धारण नहीं करते; उन्हें केवल संवैधानिक प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है

Note — the CAG, Supreme Court judges and the CEC do not hold office during pleasure; they can be removed only by the constitutional process

विधायी शक्तियाँ — भाग एक

Legislative powers — part one

1

अनुच्छेद 79 — संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा सम्मिलित हैं

Article 79 — Parliament consists of the President, the Rajya Sabha and the Lok Sabha

2

अनुच्छेद 85 — संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना तथा लोकसभा का विघटन

Article 85 — summoning, prorogation of Parliament and dissolution of the Lok Sabha

3

अनुच्छेद 86 — किसी भी सदन को सम्बोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार

Article 86 — the right to address either House and to send messages

4

अनुच्छेद 87 — विशेष अभिभाषण: प्रत्येक आम चुनाव के बाद के प्रथम सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में

Article 87 — special address in the first session after each general election and at the first session of every year

5

राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिपरिषद तैयार करती है

The President's address is prepared by the Union Council of Ministers

6

अनुच्छेद 108 — दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना; इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है

Article 108 — summoning a joint sitting of both Houses, presided over by the Speaker of the Lok Sabha

विधायी शक्तियाँ — भाग दो

Legislative powers — part two

1

अनुच्छेद 80 — राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाजसेवा के 12 सदस्यों का मनोनयन

Article 80 — nomination of 12 members to the Rajya Sabha from literature, art, science and social service

2

अनुच्छेद 331 — लोकसभा में 2 आंग्ल-भारतीय सदस्यों का मनोनयन; 104वें संविधान संशोधन (2019) द्वारा यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया

Article 331 — nomination of two Anglo-Indians to the Lok Sabha, discontinued by the 104th Amendment (2019)

3

अनुच्छेद 111 — संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अनुमति, अनुमति रोकना या पुनर्विचार हेतु लौटाना

Article 111 — assenting to, withholding assent from, or returning Bills passed by Parliament

4

अनुच्छेद 123 — संसद के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करना

Article 123 — promulgating ordinances when Parliament is not in session

5

कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं किए जा सकते — धन विधेयक, नए राज्यों के गठन से जुड़े विधेयक (अनुच्छेद 3)

Some Bills need his prior recommendation — money Bills and Bills altering State boundaries under Article 3

6

वह CAG रिपोर्ट, वित्त आयोग की सिफारिशें, UPSC रिपोर्ट आदि संसद के समक्ष रखवाता है

He causes the CAG report, Finance Commission recommendations and UPSC report to be laid before Parliament

राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ — तीन प्रकार

The veto powers of the President — three kinds

1

वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है — 'मैं रोकता हूँ'

Veto is a Latin word meaning 'I forbid'

2

आत्यंतिक वीटो (Absolute Veto) — विधेयक पर अनुमति पूरी तरह रोक देना; प्रयोग मुख्यतः निजी सदस्य विधेयकों तथा उन विधेयकों पर जिनके पीछे की सरकार गिर चुकी हो

Absolute veto — withholding assent altogether; used chiefly for private members' Bills and Bills of a fallen government

3

निलम्बनकारी वीटो (Suspensive Veto) — विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद को लौटाना; यदि संसद उसे बिना संशोधन के फिर पारित कर दे तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी

Suspensive veto — returning a Bill for reconsideration; if Parliament repasses it, he must give assent

4

जेबी वीटो (Pocket Veto) — विधेयक पर न अनुमति देना, न रोकना, न लौटाना; संविधान में कोई समय-सीमा न होने से यह सम्भव है

Pocket veto — neither assenting, nor withholding, nor returning; possible because no time limit is prescribed

5

धन विधेयक को राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता — वह केवल अनुमति दे सकता है या रोक सकता है; तथा संविधान संशोधन विधेयक पर 24वें संशोधन (1971) के बाद अनुमति देना अनिवार्य है

He cannot return a money Bill, and since the 24th Amendment (1971) assent to a Constitution Amendment Bill is compulsory

वीटो के ऐतिहासिक उदाहरण

Historical instances of the veto

*"Constitution
Conscience
and the Republic"*



PEOPLE
CONSTITUTION
DEMOCRACY
FOREVER

सत्यमेव जयते

1



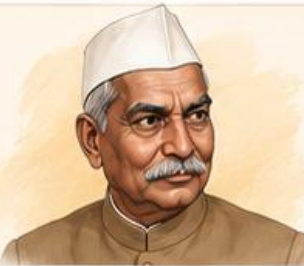
जेबी वीटो का एकमात्र प्रयोग — ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक पर किया

The only use of the pocket veto — President Giani Zail Singh in 1986 on the Indian Post Office (Amendment) Bill



*A Veto
that waited...*

2



आत्यंतिक वीटो — डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 1954 में PEPSU विनियोग विधेयक पर अनुमति रोकी थी

Absolute veto — Dr Rajendra Prasad withheld assent from the PEPSU Appropriation Bill in 1954



*Principle
over approval*

3



निलंबनकारी वीटो — के. आर. नारायणन ने 1998 में बिहार में राष्ट्रपति शासन की मंत्रिपरिषद् सिफारिश पुनर्विचार हेतु लौटाई

Suspensive veto — K. R. Narayanan returned the Cabinet's 1998 recommendation for President's Rule in Bihar for reconsideration



*Returned
for a closer look*

4



विशेष तथ्य — राज्य विधेयकों पर अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति के पास आत्यंतिक वीटो होता है

Special note — Under Article 201, the President enjoys an absolute veto over State Bills reserved for consideration



*Constitution
gives the final word*

समसामयिक अद्यतन — अनुमति की समय-सीमा पर उच्चतम न्यायालय

Current update — the Supreme Court on timelines for assent

1

अप्रैल 2025 में तमिलनाडु राज्यपाल मामले में दो-न्यायाधीश पीठ ने अनुच्छेद 200 और 201 के अधीन राज्यपाल तथा राष्ट्रपति के लिए क्रमशः 1 माह और 3 माह की समय-सीमा तय की थी

In April 2025, in the Tamil Nadu Governor case, a two-judge Bench fixed timelines of one and three months under Articles 200 and 201

2

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 मई 2025 को अनुच्छेद 143 के अधीन 14 प्रश्नों के साथ उच्चतम न्यायालय से परामर्श माँगा — यह 16वाँ राष्ट्रपति संदर्भ था

President Droupadi Murmu made a reference of 14 questions under Article 143 on 13 May 2025 — the 16th Presidential Reference

3

20 नवम्बर 2025 को मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पाँच-न्यायाधीश संविधान पीठ ने राय दी कि न्यायालय राष्ट्रपति या राज्यपाल पर कोई समय-सीमा नहीं थोप सकता

On 20 November 2025 a five-judge Bench headed by CJI B. R. Gavai opined that courts cannot impose timelines on the President or Governors

4

पीठ ने यह भी कहा कि 'मानी गई अनुमति' (deemed assent) की अवधारणा संविधान के लिए अपरिचित है तथा अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति का विवेक न्यायोचित परीक्षण के दायरे से बाहर है

The Bench also held that 'deemed assent' is alien to the Constitution and that the President's discretion under Article 201 is non-justiciable

अनुच्छेद 123 — अध्यादेश जारी करने की शक्ति

Article 123 — the ordinance-making power

1

अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों (या एक सदन सत्र में न हो)

An ordinance can be issued only when both Houses, or one of them, are not in session

2

राष्ट्रपति को यह समाधान होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई आवश्यक है

The President must be satisfied that circumstances exist which render immediate action necessary

3

अध्यादेश की शक्ति संसद की विधायी शक्ति के समविस्तीर्ण है — वही सीमाएँ लागू होती हैं

The ordinance power is co-extensive with Parliament's legislative power and subject to the same limits

4

संसद की पुनः बैठक से छह सप्ताह के भीतर अनुमोदन न मिलने पर अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है

It ceases to operate six weeks from the reassembly of Parliament unless approved earlier

5

अधिकतम अवधि = 6 माह + 6 सप्ताह; डी. सी. वाधवा वाद (1987) में बार-बार पुनःप्रवर्तन को असंवैधानिक ठहराया गया

Maximum life = six months plus six weeks; repromulgation was held unconstitutional in D. C. Wadhwa (1987)

राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ

Financial powers of the President

1

धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफ़ारिश के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता

A money Bill cannot be introduced in the Lok Sabha without his prior recommendation

2

वह वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है — अनुच्छेद 112

He causes the annual financial statement, or budget, to be laid before both Houses — Article 112

3

उसकी सिफ़ारिश के बिना कोई अनुदान की माँग नहीं की जा सकती

No demand for a grant can be made except on his recommendation

4

भारत की आकस्मिकता निधि उसके नियंत्रण में है — अनुच्छेद 267

The Contingency Fund of India is at his disposal — Article 267

5

वह प्रत्येक पाँच वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है — अनुच्छेद 280

He constitutes a Finance Commission every five years — Article 280

6

16वें वित्त आयोग का गठन दिसम्बर 2023 में डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में किया गया

The Sixteenth Finance Commission was constituted in December 2023 under Dr Arvind Panagariya

राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ

Judicial powers of the President

1

वह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है

He appoints the Chief Justices and judges of the Supreme Court and the High Courts

2

अनुच्छेद 124 — उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति CJI के परामर्श के बाद

Article 124 — Supreme Court judges are appointed after consultation with the Chief Justice of India

3

अनुच्छेद 217 — उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति CJI, सम्बद्ध राज्य के राज्यपाल तथा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से

Article 217 — High Court judges are appointed in consultation with the CJI, the Governor and the Chief Justice of that High Court

4

अनुच्छेद 143 — वह विधि या तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श माँग सकता है, किंतु ऐसी सलाह उस पर बाध्यकारी नहीं होती

Article 143 — he may seek the Supreme Court's opinion on an important question of law or fact, but the opinion is not binding on him

5

अनुच्छेद 72 — क्षमादान की शक्ति का प्रयोग

Article 72 — exercise of the pardoning power

अनु. 72

क्षमादान की शक्ति

The pardoning power of the President

04



अनुच्छेद 72 – क्षमादान के पाँच रूप

Article 72 – the five forms of clemency

“राष्ट्रपति को दण्डादेश में भी दया का अधिकार है।”
The President has the power to show mercy in punishment.



“Justice with Compassion”

राष्ट्रपति

भारत का संवैधानिक
क्षमा-प्राधिकारी

The President of India
is the constitutional
authority for clemency.

1 क्षमा (Pardon)

दण्ड तथा दोषसिद्धि दोनों को पूरी तरह समाप्त कर देती है; दोषी को निर्दोष के समान मान लिया जाता है।



Pardon — removes both the sentence and the conviction; the offender is treated as innocent.

2 लघुकरण (Commutation)

दण्ड के स्वरूप को बदल देना, जैसे मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में बदलना।



Commutation — substituting one form of punishment for a lighter one, as death to life imprisonment.

3 परिहार (Remission)

दण्ड के स्वरूप को बदले बिना उसकी अवधि घटा देना।



Remission — reducing the period of the sentence without changing its character.

4 विराम (Respite)

विशेष परिस्थितियों के कारण कम दण्ड देना, जैसे गर्भवती महिला या शारीरिक अक्षमता की स्थिति में।



Respite — awarding a lesser sentence owing to special circumstances, such as pregnancy or disability.

5 प्रविलम्बन (Reprieve)

दण्ड, विशेषकर मृत्युदण्ड, पर कुछ समय के लिए रोक लगाना।



Reprieve — a temporary stay of the execution of a sentence, especially a death sentence.

दण्ड में भी मानवता, यही है संवैधानिक मर्यादा – Rule of Law with a Human Touch



INDIA
DEMOCRACY
CONSTITUTION
COMPASSION

राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल — क्षमादान की शक्ति

President versus Governor — the pardoning power

राष्ट्रपति — अनुच्छेद 72

The President — Article 72

- संघ विधि के विरुद्ध अपराधों में दण्ड क्षमा कर सकता है
May pardon punishments for offences against Union law
- सैन्य न्यायालय (court martial) द्वारा दिए गए दण्ड को क्षमा कर सकता है
May pardon a sentence passed by a court martial
- मृत्युदण्ड को क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है
Only the President can pardon a death sentence
- राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में भी यह शक्ति उसी के पास रहती है
The power remains with him even in a State under President's Rule

राज्यपाल — अनुच्छेद 161

The Governor — Article 161

- केवल राज्य विधि के विरुद्ध अपराधों तक सीमित
Confined to offences against laws of the State
- सैन्य न्यायालय के दण्ड को क्षमा नहीं कर सकता
Cannot pardon a sentence of a court martial
- मृत्युदण्ड को क्षमा नहीं कर सकता, यद्यपि उसे निलम्बित, परिहार या लघुकृत कर सकता है
Cannot pardon a death sentence, though he may suspend, remit or commute it
- क्षमादान की शक्ति दोनों ही मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग करते हैं
Both exercise the power on the advice of the Council of Ministers

क्षमादान से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

Leading judicial decisions on the pardoning power

1

मारू राम बनाम भारत संघ (1980) — अनुच्छेद 72 तथा 161 की शक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल की व्यक्तिगत शक्ति नहीं; इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद् की सलाह पर होगा

Maru Ram v. Union of India (1980) — the power under Articles 72 and 161 is not personal and must be exercised on ministerial advice

2

केहर सिंह बनाम भारत संघ (1989) — क्षमादान की शक्ति के गुण-दोष की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, किंतु निर्णय मनमाना, दुर्भावनापूर्ण, अविवेकपूर्ण या भेदभावपूर्ण न हो

Kehar Singh v. Union of India (1989) — the merits are not reviewable, but the decision must not be arbitrary, mala fide, irrational or discriminatory

3

एपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (2006) — सीमित आधारों पर क्षमादान के आदेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है

Epuru Sudhakar v. Government of Andhra Pradesh (2006) — an order of clemency is judicially reviewable on limited grounds

4

शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014) — दया याचिका के निपटारे में अत्यधिक विलम्ब मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में बदलने का आधार बन सकता है

Shatrughan Chauhan v. Union of India (2014) — inordinate delay in deciding a mercy petition can be a ground for commutation

सैन्य तथा राजनयिक शक्तियाँ

Military and diplomatic powers

1

राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है

The President is the Supreme Commander of the three defence services

2

वह थल सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष तथा वायुसेनाध्यक्ष की नियुक्ति करता है

He appoints the Chiefs of the Army, the Navy and the Air Force

3

वह युद्ध की घोषणा तथा शांति की समाप्ति कर सकता है, किंतु यह संसद के अनुमोदन के अधीन है

He may declare war or conclude peace, subject to the approval of Parliament

4

सभी अंतरराष्ट्रीय संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं

All international treaties and agreements are concluded in his name

5

वह राजदूतों तथा उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है और विदेशी राजनयिकों के प्रत्यय-पत्र स्वीकार करता है

He appoints ambassadors and high commissioners and receives the credentials of foreign diplomats

6

वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है

He represents India in international forums



राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ

The emergency powers of the President

“असाधारण परिस्थितियों में, राष्ट्र की रक्षा के लिए असाधारण शक्तियों”

Extraordinary powers for extraordinary times.



“A Strong Republic for a Safer India”

Constitution gives powers, but with a purpose — To protect the Nation.

1

अनुच्छेद 352

Article 352

राष्ट्रीय आपातकाल: युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में

National Emergency on the ground of war, external aggression or armed rebellion.



2

घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर

44वाँ संविधान संशोधन, 1978

इसकी घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही की जा सकती है।

It may be proclaimed only on the written recommendation of the Cabinet — 44th Amendment, 1978.



3

अनुच्छेद 356

Article 356

राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहा जाता है।

Failure of constitutional machinery in a State, commonly called President's Rule.



4

अनुच्छेद 360

Article 360

वित्तीय आपातकाल, जब भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या नाख संकट में हो।

Financial Emergency, when the financial stability of India or any part is threatened.



5

अनुच्छेद 360 का प्रयोग आज तक एक बार भी नहीं किया गया है

Article 360

अनुच्छेद 360 का प्रयोग आज तक एक बार भी नहीं किया गया है।

Article 360 has never been invoked even once.



संविधान की शक्ति — राष्ट्र की सुरक्षा — जनता का विश्वास

Constitutional Powers | National Security | People's Trust

Stronger Constitution
Stronger India

सत्यमेव जयते

TRUTH ALWAYS TRIUMPHS

सूची

भारत के सभी राष्ट्रपति

All the Presidents of India

05

राष्ट्रपतियों की सूची — भाग एक

List of Presidents — part one

क्र. No.	नाम Name	कार्यकाल Tenure	विशेष तथ्य Key fact
1	डॉ. राजेंद्र प्रसाद Dr Rajendra Prasad	1950–1962	प्रथम राष्ट्रपति; सर्वाधिक लम्बा कार्यकाल; लगातार दो बार निर्वाचित एकमात्र व्यक्ति; भारत रत्न 1962 First President; longest tenure; the only person elected twice in a row; Bharat Ratna 1962
2	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन Dr S. Radhakrishnan	1962–1967	प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति; भारत रत्न 1954; जन्मदिन 5 सितम्बर शिक्षक दिवस First Vice-President and second President; Bharat Ratna 1954; his birthday is Teachers' Day
3	डॉ. ज़ाकिर हुसैन Dr Zakir Husain	1967–1969	प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति; पद पर रहते हुए निधन; भारत रत्न 1963 First Muslim President; died in office; Bharat Ratna 1963
4	वी. वी. गिरि V. V. Giri	1969–1974	प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बाद में निर्वाचित भी हुए; एकमात्र जिनके चुनाव में दूसरी वरीयता गिननी पड़ी; भारत रत्न 1975 First acting President later elected; the only election decided on second preferences; Bharat Ratna 1975
5	फखरुद्दीन अली अहमद Fakhruddin Ali Ahmed	1974–1977	पद पर रहते हुए निधन; 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा; सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए Died in office; proclaimed the Emergency on 25 June 1975; issued the most ordinances
6	नीलम संजीव रेड्डी Neelam Sanjiva Reddy	1977–1982	एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति; प्रथम गैर-कांग्रेसी राष्ट्रपति; आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री तथा छठी लोकसभा के अध्यक्ष The only President elected unopposed; first non-Congress President; first CM of Andhra Pradesh and Speaker of the 6th Lok Sabha
7	ज्ञानी ज़ैल सिंह Giani Zail Singh	1982–1987	प्रथम सिख राष्ट्रपति; 1986 में डाकघर (संशोधन) विधेयक पर जेबी वीटो; ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 First Sikh President; used the pocket veto on the Post Office Bill in 1986; Operation Blue Star, 1984

राष्ट्रपतियों की सूची — भाग दो

List of Presidents — part two

क्र. No.	नाम Name	कार्यकाल Tenure	विशेष तथ्य Key fact
8	आर. वेंकटरमण R. Venkataraman	1987–1992	पद ग्रहण के समय सर्वाधिक आयु वाले राष्ट्रपति; गठबंधन सरकारों के दौर में कार्य किया The oldest person to assume the office; served through the era of coalition governments
9	डॉ. शंकर दयाल शर्मा Dr Shankar Dayal Sharma	1992–1997	मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके; राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति A former Chief Minister of Madhya Pradesh and Vice-President before becoming President
10	के. आर. नारायणन K. R. Narayanan	1997–2002	प्रथम दलित राष्ट्रपति; राजदूत रह चुके; स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के समय राष्ट्रपति First Dalit President; a former ambassador; President during the golden jubilee of Independence
11	डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम Dr A. P. J. Abdul Kalam	2002–2007	'मिसाइल मैन' तथा 'जनता के राष्ट्रपति'; भारत रत्न 1997; 15 अक्टूबर जयंती विश्व विद्यार्थी दिवस The 'Missile Man' and 'People's President'; Bharat Ratna 1997; his birthday is World Students' Day
12	प्रतिभा देवीसिंह पाटिल Pratibha Devisingh Patil	2007–2012	प्रथम महिला राष्ट्रपति; राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल; सर्वाधिक क्षमादान देने वाली राष्ट्रपति First woman President; first woman Governor of Rajasthan; granted the most clemencies
13	प्रणब मुखर्जी Pranab Mukherjee	2012–2017	पूर्व वित्त मंत्री; भारत रत्न 2019; पुस्तकें — The Coalition Years, The Dramatic Decade A former Finance Minister; Bharat Ratna 2019; author of The Coalition Years and The Dramatic Decade
14	राम नाथ कोविन्द Ram Nath Kovind	2017–2022	दूसरे दलित राष्ट्रपति; बिहार के राज्यपाल रह चुके The second Dalit President; a former Governor of Bihar
15	द्रौपदी मुर्मू Droupadi Murmu	2022-वर्तमान	प्रथम आदिवासी तथा दूसरी महिला राष्ट्रपति; झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल; स्वतंत्र भारत में जन्मी प्रथम तथा सबसे युवा राष्ट्रपति First tribal and second woman President; first woman Governor of Jharkhand; the first born in independent India and the youngest to assume office

राष्ट्रपति — महत्वपूर्ण तथ्य, भाग एक

Important facts about the Presidents — part one

1

पद पर रहते हुए निधन — डॉ. ज़ाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद

Died in office — Dr Zakir Husain and Fakhruddin Ali Ahmed

2

राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके राष्ट्रपति — नीलम संजीव रेड्डी (आंध्र प्रदेश), शंकर दयाल शर्मा (मध्य प्रदेश), ज्ञानी जैल सिंह (पंजाब), बी. डी. जत्ती (मैसूर)

Presidents who had been Chief Ministers — Reddy, Sharma, Zail Singh and B. D. Jatti

3

राजदूत रह चुके राष्ट्रपति — के. आर. नारायणन, वी. वी. गिरि तथा डॉ. एस. राधाकृष्णन

Presidents who had served as ambassadors — Narayanan, Giri and Radhakrishnan

4

अल्पसंख्यक समुदाय से राष्ट्रपति — ज़ाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ए. पी. जे. अब्दुल कलाम तथा ज्ञानी जैल सिंह

Presidents from minority communities — Zakir Husain, Fakhruddin Ali Ahmed, Abdul Kalam and Zail Singh

5

अब तक 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है

Six Presidents have so far been awarded the Bharat Ratna

6

राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने बनाया; 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था

Rashtrapati Bhavan was designed by Sir Edwin Lutyens and was called Viceroy's House until 1950

राष्ट्रपति — महत्वपूर्ण तथ्य, भाग दो

Important facts about the Presidents — part two

1

अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति संघ के कार्यों तथा विधायी प्रस्तावों की जानकारी प्रधानमंत्री से माँग सकता है

Under Article 78 the President may call upon the Prime Minister for information about the affairs of the Union

2

44वें संविधान संशोधन के अनुसार वह मंत्रिपरिषद से सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने को कह सकता है; दोबारा दी गई सलाह मानना अनिवार्य है

Under the 44th Amendment he may return the advice once for reconsideration, but the advice tendered again is binding

3

अनुच्छेद 73 — संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक है जिन पर संसद विधि बना सकती है

Article 73 — the executive power of the Union extends to matters on which Parliament can legislate

4

अनुच्छेद 244(1) तथा पाँचवीं अनुसूची के अधीन राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है

Under Article 244(1) and the Fifth Schedule he may declare an area to be a Scheduled Area

5

अनुच्छेद 77 — भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है

Article 77 — all executive action of the Government of India is expressed in the name of the President

6

राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, फिर भी वह किसी सदन का सदस्य नहीं होता और सदन में बैठ नहीं सकता

The President is an integral part of Parliament, yet he is not a member of either House and cannot sit in the House

अनु. 63-71

भारत के उपराष्ट्रपति

The Vice-President of India

06

अनुच्छेद 63 और 64 — पद तथा पदेन भूमिका

Articles 63 and 64 — the office and its ex officio role

1

अनुच्छेद 63 — भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा

Article 63 — There shall be a Vice-President of India

2

यह पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है

The office has been borrowed from the Constitution of the United States

3

अनुच्छेद 64 — उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा

Article 64 — The Vice-President is the ex officio Chairman of the Council of States

4

यह देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है

It is the second highest constitutional office in the country

5

उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः सामान्य मतदान का अधिकार नहीं; सभापति के रूप में उसे केवल निर्णायक मत (casting vote) का अधिकार है

He is not a member of the House and so has no ordinary vote; as Chairman he has only a casting vote

अनुच्छेद 65 — राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना

Article 65 — acting as President

1

65(1) — राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर (मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाए जाने या अन्यथा) उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है

65(1) — On a vacancy in the office, the Vice-President acts as President

2

65(2) — राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या अस्वस्थता की स्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कृत्यों का निर्वहन करता है

65(2) — He discharges the President's functions during the President's absence or inability

3

65(3) — इस अवधि में उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ, विशेषाधिकार तथा वेतन-भत्ते प्राप्त होते हैं

65(3) — During that period he enjoys all the powers, immunities, privileges and emoluments of the President

4

वह अधिकतम छह माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है; इस अवधि में नया राष्ट्रपति चुनना अनिवार्य है

He may act as President for a maximum of six months, within which a new President must be elected

5

राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय वह राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करेगा — तब उपसभापति सदन की अध्यक्षता करते हैं

While acting as President he does not perform the duties of Chairman; the Deputy Chairman then presides

अनुच्छेद 66 — उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

Article 66 — election of the Vice-President

1

निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं — निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों

The electoral college consists of all members of both Houses of Parliament, elected as well as nominated

2

राज्य विधानसभाओं की इसमें कोई भूमिका नहीं होती

The State Legislatures have no role in this election

3

चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति तथा गुप्त मतदान से होता है

The election is by proportional representation through the single transferable vote and by secret ballot

4

नामांकन हेतु 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक आवश्यक हैं; जमानत राशि ₹15,000 है

A nomination requires 20 proposers and 20 seconders; the security deposit is ₹15,000

5

योग्यता — भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य, तथा किसी लाभ के पद पर न हो

Qualifications — citizen of India, 35 years of age, qualified for election to the Rajya Sabha, and not holding an office of profit

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अंतर

Differences between the two elections

राष्ट्रपति का निर्वाचन

Election of the President

- निर्वाचक मंडल में सांसद तथा विधायक दोनों
The electoral college includes both MPs and MLAs

- केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं
Only elected members participate

- 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक
Fifty proposers and fifty seconders

- मतों के मूल्य अलग-अलग होते हैं
Votes carry differing values

- लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता आवश्यक
Must be qualified for election to the Lok Sabha

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

Election of the Vice-President

- निर्वाचक मंडल में केवल संसद के सदस्य
The electoral college consists only of members of Parliament

- निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों भाग लेते हैं
Both elected and nominated members participate

- 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक
Twenty proposers and twenty seconders

- प्रत्येक सांसद के मत का मूल्य समान — एक
Every MP's vote carries the same value of one

- राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता आवश्यक
Must be qualified for election to the Rajya Sabha

अनुच्छेद 67 — कार्यकाल तथा निष्कासन

Article 67 — term of office and removal

1

उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष तक पद पर रहता है

The Vice-President holds office for five years from the date he enters upon office

2

67(a) — वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सम्बोधित करके दे सकता है

67(a) — He may resign by writing addressed to the President

3

67(b) — निष्कासन का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही आरम्भ किया जा सकता है

67(b) — A resolution for his removal can be initiated only in the Rajya Sabha

4

प्रस्ताव राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित हो और लोकसभा में साधारण बहुमत से सहमति मिले

It must be passed by an effective majority in the Rajya Sabha and agreed to by a simple majority in the Lok Sabha

5

14 दिन की पूर्व सूचना अनिवार्य है; संविधान में निष्कासन के लिए कोई आधार निर्दिष्ट नहीं किया गया है

Fourteen days' notice is compulsory, and the Constitution specifies no ground for removal

6

वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है

He continues in office until his successor enters upon office

अनुच्छेद 68 से 71 — शेष प्रावधान

Articles 68 to 71 — the remaining provisions

1

अनुच्छेद 68(1) — कार्यकाल की समाप्ति से होने वाली रिक्ति का चुनाव कार्यकाल पूरा होने से पहले ही करा लिया जाएगा

Article 68(1) — an election to fill a vacancy on expiry of term must be completed before the expiry

2

अनुच्छेद 68(2) — मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन से रिक्ति होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा

Article 68(2) — a vacancy by death, resignation or removal is to be filled as soon as possible

3

अनुच्छेद 69 — उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है

Article 69 — the oath is administered by the President or a person appointed by him

4

अनुच्छेद 70 — अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए संसद प्रावधान कर सकती है

Article 70 — Parliament may provide for the discharge of the President's functions in other contingencies

5

अनुच्छेद 71(1) — निर्वाचन से जुड़े सभी संदेह और विवाद उच्चतम न्यायालय ही तय करेगा; उसका निर्णय अंतिम होगा

Article 71(1) — all doubts and disputes about the election are decided by the Supreme Court, whose decision is final

6

अनुच्छेद 71(2) — निर्वाचन अमान्य घोषित होने पर उससे पहले किए गए कार्य वैध बने रहेंगे

Article 71(2) — acts done before an election is declared void remain valid

7

अनुच्छेद 71(3) — संसद विधि द्वारा इन निर्वाचनों को विनियमित कर सकती है — राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952

Article 71(3) — Parliament may regulate these elections by law — the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952

8

अनुच्छेद 71(4) — निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने के आधार पर निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती

Article 71(4) — the election cannot be challenged on the ground that the electoral college was incomplete

अनुच्छेद 71 का संशोधन-इतिहास — एक अतिरिक्त तथ्य

The amendment history of Article 71 — an added insight

1

प्रारम्भ में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा होता था; 11वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1961 ने इसे निर्वाचक मंडल में बदल दिया

Originally the Vice-President was elected at a joint meeting of both Houses; the 11th Amendment Act, 1961 replaced this with an electoral college

2

11वें संशोधन ने ही अनुच्छेद 71(4) जोड़कर यह स्पष्ट किया कि निर्वाचक मंडल की अपूर्णता निर्वाचन को अमान्य नहीं करती

The same amendment inserted Article 71(4), clarifying that an incomplete electoral college does not invalidate the election

3

39वें संविधान संशोधन (1975) ने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवादों को न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था

The 39th Amendment (1975) placed disputes over these elections beyond the jurisdiction of the courts

4

44वें संविधान संशोधन (1978) ने उस प्रावधान को हटाकर उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार पुनः बहाल किया

The 44th Amendment (1978) removed that bar and restored the jurisdiction of the Supreme Court

उपराष्ट्रपतियों की सूची — भाग एक

List of Vice-Presidents — part one

क्र. No.	नाम Name	कार्यकाल Tenure	विशेष तथ्य Key fact
1	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन Dr S. Radhakrishnan	1952–1962	प्रथम उपराष्ट्रपति; लगातार दो कार्यकाल; बाद में राष्ट्रपति बने The first Vice-President; served two consecutive terms; later became President
2	डॉ. ज़ाकिर हुसैन Dr Zakir Husain	1962–1967	प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति; बाद में राष्ट्रपति बने The first Muslim Vice-President; later became President
3	वी. वी. गिरि V. V. Giri	1967–1969	राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु 20 जुलाई 1969 को उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया Resigned on 20 July 1969 to contest the presidential election
4	गोपाल स्वरूप पाठक Gopal Swarup Pathak	1969–1974	मैसूर के राज्यपाल रह चुके; पेशे से विधिवेत्ता A former Governor of Mysore and a lawyer by profession
5	बी. डी. जत्ती B. D. Jatti	1974–1979	1977 में कार्यवाहक राष्ट्रपति; मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई Acting President in 1977; administered the oath to Prime Minister Morarji Desai
6	मोहम्मद हिदायतुल्लाह M. Hidayatullah	1979–1984	एकमात्र व्यक्ति जो मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति — तीनों रहे The only person to have been Chief Justice, acting President and Vice-President
7	आर. वेंकटरमण R. Venkataraman	1984–1987	बाद में भारत के आठवें राष्ट्रपति बने Later became the eighth President of India
8	डॉ. शंकर दयाल शर्मा Dr Shankar Dayal Sharma	1987–1992	बाद में भारत के नौवें राष्ट्रपति बने Later became the ninth President of India
9	के. आर. नारायणन K. R. Narayanan	1992–1997	प्रथम दलित उपराष्ट्रपति तथा बाद में प्रथम दलित राष्ट्रपति The first Dalit Vice-President and later the first Dalit President

उपराष्ट्रपतियों की सूची — भाग दो

List of Vice-Presidents — part two

क्र. No.	नाम Name	कार्यकाल Tenure	विशेष तथ्य Key fact
10	कृष्ण कांत Krishan Kant	1997–2002	पद पर रहते हुए निधन होने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति (27 जुलाई 2002) The only Vice-President to die in office, on 27 July 2002
11	भैरों सिंह शेखावत Bhairon Singh Shekhawat	2002–2007	राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके; 2007 का राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद त्यागपत्र A former Chief Minister of Rajasthan; resigned after losing the 2007 presidential election
12	मोहम्मद हामिद अंसारी Mohammad Hamid Ansari	2007–2017	सर्वाधिक लम्बे समय तक उपराष्ट्रपति; तीन राष्ट्रपतियों के साथ कार्य करने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति The longest-serving Vice-President and the only one to serve under three Presidents
13	एम. वेकैया नायडू M. Venkaiah Naidu	2017–2022	पूर्व केंद्रीय मंत्री; राज्यसभा के सभापति के रूप में सक्रिय भूमिका A former Union Minister; played an active role as Chairman of the Rajya Sabha
14	जगदीप धनखड़ Jagdeep Dhankhar	2022–2025	पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके; 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र A former Governor of West Bengal; resigned on 21 July 2025 citing health reasons
15	सी. पी. राधाकृष्णन C. P. Radhakrishnan	2025-वर्तमान	वर्तमान उपराष्ट्रपति; 12 सितम्बर 2025 को शपथ ली; झारखंड तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके The incumbent; sworn in on 12 September 2025; formerly Governor of Jharkhand and Maharashtra

उपराष्ट्रपति — महत्वपूर्ण तथ्य

Important facts about the Vice-President

1

संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है

The Constitution makes no provision for an acting Vice-President

2

अब तक कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी; दो महिलाएँ चुनाव लड़ चुकी हैं — नजमा हेपतुल्ला (2007) और मार्गरेट अल्वा (2022)

No woman has yet become Vice-President; two have contested — Najma Heptulla in 2007 and Margaret Alva in 2022

3

छह उपराष्ट्रपति आगे चलकर राष्ट्रपति बने

Six Vice-Presidents went on to become President

4

डॉ. एस. राधाकृष्णन तथा हामिद अंसारी — दोनों लगातार दो कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे

Dr Radhakrishnan and Hamid Ansari each served two consecutive terms

5

उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन पाता है — वर्तमान में ₹4,00,000 प्रति माह

He is paid as Chairman of the Rajya Sabha — at present ₹4,00,000 per month

6

वर्ष 1997 से उपराष्ट्रपति के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है

A pension for the Vice-President has been provided since 1997

7

सी. पी. राधाकृष्णन 15वें व्यक्ति हैं जो इस पद पर हैं; कार्यकालों की गिनती से यह 17वाँ कार्यकाल है

C. P. Radhakrishnan is the fifteenth person to hold the office; counted by terms, this is the seventeenth

8

वे 2025 के चुनाव में 452 मत पाकर बी. सुदर्शन रेड्डी (300 मत) से विजयी हुए

He won the 2025 election with 452 votes against B. Sudershan Reddy's 300

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति — संक्षिप्त तुलना

President and Vice-President — a quick comparison

राष्ट्रपति

The President

- त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है
Resigns by addressing the Vice-President
- शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं
The oath is administered by the Chief Justice of India
- महाभियोग द्वारा हटाया जाता है; आधार — संविधान का अतिक्रमण
Removed by impeachment on the ground of violation of the Constitution
- दोनों सदनों में दो-तिहाई विशेष बहुमत आवश्यक
Requires a two-thirds special majority in both Houses
- वेतन ₹5,00,000 प्रति माह
Salary of ₹5,00,000 per month

उपराष्ट्रपति

The Vice-President

- त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है
Resigns by addressing the President
- शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है
The oath is administered by the President or his nominee
- निष्कासन का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में; कोई आधार निर्दिष्ट नहीं
A removal resolution originates only in the Rajya Sabha; no ground is specified
- राज्यसभा में प्रभावी बहुमत तथा लोकसभा में साधारण बहुमत
An effective majority in the Rajya Sabha and a simple majority in the Lok Sabha
- वेतन ₹4,00,000 प्रति माह
Salary of ₹4,00,000 per month